

ई-वॉलेट से निर्यातकों को टैक्स पर राहत दे सकती है सरकार

निर्यात बढ़ाने के लिए बजट में ई-वॉलेट योजना लाने पर हो सकता है विचार

नई दिल्ली। निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने के लिए सरकार 2022-23 के आम बजट में निर्यातकों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट में 'ई-वॉलेट' योजना लाने पर विचार हो सकता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य तय किया है।

400

अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा गया है 2021-22 में

जीएसटी परिषद ने 2017 में ई-वॉलेट योजना शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके तहत जब कोई निर्यातक उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल का आयात करेगा तो उस पर लगने वाला टैक्स उसके ई-वॉलेट में डाल दिया जाएगा। यह निर्यातक के पिछले साल के औसत टर्नओवर के हिसाब से एडवांस क्रेडिट होगा। वह जिस श्रेणी का उत्पाद बनाता है और निर्यात करता है, उस पर लगने वाले टैक्स के आधार पर एडवांस क्रेडिट की गणना



कपड़ों की मजबूत मांग निर्यात बढ़ाने में मददगार परिधान निर्यात संबर्द्धन परिषद (एईपीसी) ने मंगलवार को कहा, दुनिया में भारतीय परिधानों की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

■ परिषद के प्रमुख ए शक्तिवेल ने कहा, पीएलआई योजना और पीएम-मित्र योजनाएं परिधान क्षेत्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व दोबारा हासिल करने में मददगार बनेंगी।

वाणिज्य मंत्रालय शुरू करेगा ब्रांड इंडिया अभियान

नए बाजारों में सेवाओं और उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय 'ब्रांड इंडिया' अभियान शुरू कर सकता है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि यह अभियान भारत को ओर से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 'समग्र अभियान' के रूप में काम करेगा।

- इसके तहत शुरुआती चरण में रत्न-आभूषण, वस्त्र, बागवानी उत्पादों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा और इंजीनियरिंग निर्यात पर जोर रहेगा।
- इस अभियान के तहत गुणवत्ता, विरासत, प्रौद्योगिकी, मूल्य और नवाचार पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा, ऐसे अभियान की जरूरत इसलिए है क्योंकि फिलहाल विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से 'व्यक्तिगत' पहचान के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

होगी। इस तरह टैक्स भुगतान के लिए उसके पास अतिरिक्त तरलता होगी। बजट में एमएसएमई के लिए डबल टैक्स डिडक्शन योजना भी

लॉन्च हो सकती है। इसमें निर्यातक विदेशी बाजार में प्रचार पर जितना खर्च करेगा, उसकी दोगुनी राशि पर करयोग्य आय में छूट मिलेगी। व्यूरो